N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0162   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 24/06/2025 18:31 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 12/06/2025   Date To (दिनांक तक): 23/06/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 19:00 बजे   Time To (समय तक): 15:55 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/06/2025   Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 24/06/2025 18:31:18 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 85 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): TEHASIL KARYALYA GANGAPUR CITY

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJU MEHARA

(b) Father's Name (पिता का नाम): BANSHILAL BAIRVA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1980 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SANJY COLONY, GANGAPUR CITY, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SANJY COLONY, GANGAPUR CITY, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JAY KUMAR SHARMA		पिता:MAHESH CHAND SHARMA	1. NARSINGH COLONY,गंगापुर सिटी,RAJASTHAN,INDIA
2	HARIPRASAD URF SONU		पिता:RADHESHYAM	1. MHUKALA,गंगापुर सिटी, RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		75,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 75,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी सवाई माधोपुर। विषयः- मेरे जायज काम के लिये रिश्वत ना देकर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं राजू मैहरा पुत्र बंशीलाल जाति बैरवा उम्र 45 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी गंगापुर सिटी का रहने वाला हूँ। मैंने जानकी देवी पत्नि रामप्रसाद बैरवा निवासी गांव चूली से गांव चूली में 20.66 एयर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1908 को मैने मेरे पुत्र हिमांशु मैहरा के नाम से खरीदी थी। मेरी 10 एयर भूमि भी खरीदी गई भूमि के पास ही है, जो मेरे पुत्र हिमांशु मैहरा व संचिन मैहरा के नाम से है। मैं मेरे द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिये तहसील गंगापुर सिटी गया था, जहां पर मुझे सोनू एडवोकेट मिला, जिससे मैं पूर्व से परिचित था। मैंने सोनू एडवोकेट से मेरी खरीदी गई भूमि की रजिस्ट्री की बात की तो सोनू मुझे जय बाबू के पास ले गया। उन दोनो ने कहा कि तहसीलदार जी से बात करनी पडेगी। इसके कुछ समय बाद सोनू व जय बाबू मेरे पास आये और उन्होने कहा कि मौका देखना पडेगा। इस पर दिनांक 12.06.2025 को तहसीलदार बृजेश कुमार ने नायब तहसीलदार, पटवारी पवन और जय बाबू को मौका देखने मेरे व मेरे पुत्र हिमांशु के साथ भेजा तो उन्होने करीब 500 मीटर दूर से किसी दूसरे की जमीन की फोटो खींच ली। उसके बाद हम तहसील में आ गये तो सोनू एकवोकेट ने मेरे से कहा कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री के लिये खर्चा ज्यादा लगेगा, मैं जय बाबू से बात करके आया हूँ। जय बाबू स्वंय के लिये व तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पवन मीना पटवारी के लिये एक लाख रूपये की मांग कर रहा है। मैं इनको रिश्वत नही देना चाहता हूँ बल्कि रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी इनसे कोई लडाई -झगडा व पुराना लेन देन नही है। यह कार्यवाही मैं स्वंय की इच्छा से मेरे जायज काम के लिये रिश्वत ना देकर रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूँ। हस्ताक्षर प्रार्थी- राजू मैहरा मो. नं. [redacted] दिनांक- 12.06.2025 हस्ता. ज्ञान सिंह चौधरी अ0पु0अ0 एसीबी सवाई माधोपुर दिनांक 12.06.2025, ह0 स्वतंत्र गवाह-अतुल गोयल व सतीस कुमार बैरवा दिनांक 23.06.2025 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 12.06.2025 समय 07.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी मय भोलाराम कानि. 281 मय लेपटॉप प्रिन्टर आदि के मय सरकारी वाहन बोलेरो के हिण्डोन सिटी से दीगर मुकदमात में अनुसंधान करता हुआ गंगापुर सिटी में राजकीय प्रवास के दौरान ब्यूरो के टोल-फ्री नम्बर-1064 के शिकायतकर्ता परिवादी राजू मैहरा निवासी गंगापुर सिटी को जरिये दूरभाष तलब करने पर राजू मैहरा मय उसके साथ एक लडका ईदगाह चैराहा गंगापुर सिटी उपस्थित आया। जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी राजू मैहरा को अपना परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने नाम पता उसने अपना नाम पता राजू मैहरा पुत्र बंशीलाल जाति बैरवा उम्र 45 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी, गंगापुर सिटी होना बताया व अपने साथ आये हुये को अपना पुत्र हिमांशु मैहरा होना बताया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी राजू मैहरा से ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 पर की गई शिकायत के बारे में पूछा तो परिवादी राजू मैहरा ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को लिखित हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की कि मैं राजू मैहरा पुत्र बंशीलाल जाति बैरवा उम्र 45 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी, गंगापुर सिटी का रहने वाला हूँ। मैंने जानकी देवी पत्नि रामप्रसाद बैरवा निवासी गांव चूली से गांव चूली में 20.66 एयर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1908 को मैने मेरे पुत्र हिमांशु मैहरा के नाम से खरीदी थी। मेरी 10 एयर भूमि भी खरीदी गई भूमि के पास ही है, जो मेरे पुत्र हिमांशु मैहरा व संचिन मैहरा के नाम से है। मैं मेरे द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिये तहसील गंगापुर सिटी गया था, जहां पर मुझे सोनू एडवोकेट मिला, जिससे मैं पूर्व से परिचित था। मैंने सोनू एडवोकेट से मेरी खरीदी गई भूमि की रजिस्ट्री की बात की तो सोनू मुझे जय बाबू के पास ले गया। उन दोनो ने कहा कि तहसीलदार जी से बात करनी पडेगी। इसके कुछ समय बाद सोनू व जय बाबू मेरे पास आये और उन्होने कहा कि मौका देखना पडेगा। इस पर दिनांक 12.06.2025 को तहसीलदार बृजेश कुमार ने नायब तहसीलदार, पटवारी पवन और जय बाबू को मौका देखने मेरे व मेरे पुत्र हिमांशु के साथ भेजा तो उन्होने करीब 500 मीटर दूर से किसी दूसरे की जमीन की फोटो खींच ली। उसके बाद हम तहसील में आ गये तो सोनू एडवोकेट ने मेरे से कहा कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री के लिये खर्चा ज्यादा लगेगा, मैं जय बाबू से बात करके आया हूँ। जय बाबू स्वंय के लिये व तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पवन मीना पटवारी के लिये एक लाख रूपये की मांग कर रहा है। मैं इनको रिश्वत नही देना चाहता हूँ बल्कि रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी इनसे कोई लडाई -झगडा व पुराना लेन देन नही है। यह कार्यवाही मैं स्वंय की इच्छा से मेरे जायज काम के लिये रिश्वत ना देकर रिश्वत लेते हुये

पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजिद दरियाप्त पर परिवादी ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हुँ। यह प्रार्थना पत्र मैंने अपने पुत्र हिमांशु मैहरा से लिखवाया है। मै यह कार्यवाही किसी राजनैतिक कारणों से या किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा अनुसार रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। परिवादी ने मांगने पर ऐड्रेस प्रूफ बाबत अपने स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिन्हें शामिल रनिंग नोट किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाता है, जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी राजू मैहरा से रिश्वत मांग का सत्यापन हेतु कहा गया तो परिवादी ने कहा कि अभी तो रात होने वाली है और तहसील कार्यालय भी बन्द हो चुका है। तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी के अधिकारी/कर्मचारी नही मिलेंगे। मैं कल दिनांक 13.06.2025 को मैं रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देते हुये कहा कि कल दिनांक 13.06.2025 को मेरे कार्यालय का एक कर्मचारी आपसे गंगापुर सिटी में आकर सम्पर्क कर लेगा तथा ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकाँर्डर को चालू बन्द करने की विधि आपको समझा देगा, आप आरोपीगण के पास जाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर ब्यूरो के कर्मचारी के साथ ब्यूरो चैकी सवाई माधोपुर उपस्थित आये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी राजू मैहरा व उसके पुत्र को मुनासिफ हिदायत कर ईदगाह तिराहा गंगापुर सिटी से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय भोलाराम कानि. 281 मय लेपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहन बोलेरो के ईदगाह तिराहा गंगापुर सिटी से रवाना होकर सवाई माधोपुर पहुंचा हूँ। जहां पर परिवादी राजू मैहरा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को स्वंय के पास सुरक्षित रखा। इसके बाद दिनांक 13.06.2025 को समय 09.00 ए.एम श्री मनोज कुमार कानि 133 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी राजू मैहरा द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही के बारे में अवगत करवाकर कार्यालय में से श्री भोलाराम कानि. 281 व श्री हम्मीर सिंह कानि 02 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर श्री मनोज कुमार कानि. 133 से कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मैक मॉडल सोनी बरंग काला को निकालकर उसमें नया Sandisk माईक्रो एसडी कार्ड 32 जीबी डालकर खाली होना सुनिश्चत कर तथा वॉईस रिकार्डर व एसडी कार्ड के किसी भी फोल्डर में पूर्व से कोई आवाज रिकार्ड नही होना सुनिश्चित कर श्री मनोज कुमार कानि. 133 को चालू व बंद करने की विधि समझाई जाकर श्री भोलाराम कानि. 281 व श्री हम्मीर सिंह कानि0 02 को गवाह मामूर कर उनके सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर श्री मनोज कुमार कानि को परिवादी राजू मैहरा के मोबाईल नम्बर दिये जाकर हिदायत दी गई कि आप गंगापुर सिटी पहुंचकर परिवादी राजू मैहरा से सम्पर्क कर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाकर परिवादी के आरोपीगण के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें एवं परिवादी व संदिग्ध आरोपीगण के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें एवं रिष्वत मांग सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर वॉइस रिकॉर्डर को परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख ले। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे तथा परिवादी को अपने साथ कार्यालय में उपस्थित साथ लावें। इसके बाद समय 09.45 पी.एम पर श्री मनोज कुमार कानि 133 को मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड डले सहित परिवादी राजू मैहरा से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गंगापुर सिटी के लिए बाद हिदायत समझाईश कर रवाना किया गया। इसके बाद मनोज कानि उसी दिन समय 04.30 पी.एम पर परिवादी राजू मैहरा व परिवादी का पुत्र श्री हिमांशु मैहरा के उपस्थित कार्यालय आया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पूछने पर मनोज कुमार कानि. ने बताया मै कार्यालय से रवाना होकर समय 11.40 ए.एम बजे गंगापुर सिटी पहुंचा। जहां पर मैने परिवादी राजू मैहरा से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर किया तो परिवादी राजू मैहरा मुझे गंगापुर रेल्वे स्टेशन पर ही मिल गया। जहां पर मैंने परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू बन्द करने की प्रक्रिया समझाकर वाईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी रवाना कर दिया मैं भी उसके पीछे-पीछे रवाना हो गया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी राजू मैहरा से पूछने पर मनोज कानि. द्वारा बतायी गयी बात को सही होना बताते हुये बताया कि मैं मनोज कुमार जी से वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उनके पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी पहुंचा। मनोज जी भी मेरे साथ मेरे पीछे-पीछे आ गये थे। जहां पर मुझे सोनू एडवोकेट मिला और कहा कि मेरी व जय बाबू की तहसीलदार से उनके चैम्बर में बात हो गयी है। तहसीलदार जी एक लाख रूपये की कही थी, मैने कहा एक लाख तो नही देंगे करो तो करो नही तो मत करो। मैने सोनू से कहा कि तू मेरी बात करा दे, कुछ तो कम करा यार। सोनू ने कहा कि हां चलो। इस पर मैं व सोनू जय बाबू के पास चले गये। जहां पर मैंने जय बाबू से अपने कार्य के सम्बन्ध में बातचीत की तो सोनू ने जय बाबू से कहा कि साहब से बात हुई था ना कितने पैसे बताये थे, जय बाबू ने कहा आप भी तो गये थे ना। फिर जय बाबू ने कहा कि कोई रिकॉर्डर वगैरा तो नही है। इस बात पर हंसने लग गये, फिर मैने कहा कि हम तो इससे कितने काम कराते है यार। फिर जय बाबू ने कहा कि साहब ने एक बताये है, एक नही तो अस्सी लास्ट कर देना। फिर मैने काफी निवेदन किया की साठ तक करवा दो तो जय बाबू ने मना कर दिया। मेरे काफी निवेदन करने पर पिच्चतर हजार रूपये पर राजी हो गये। मेरे व सोनू एडवोकेट व जय बाबू के मध्य हुई वार्ता को मैने वाईस रिकॉर्डर में रिकॉड करके मैं वहां से रवाना होकर मनोज जी के पास तहसील कार्यालय के पास एकान्त जगह पर आ गया। जहां पर मैंने अपने पास से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर

निकालकर मनोज जी को दिया जो चालू हालत में था जिसे मनोज जी ने लेकर बन्द कर अपने पास बिना छेडछाड किये सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मैं व मनोज जी गंगापुर सिटी से रवाना होकर आपके कार्यालय में आ गये। परिवादी द्वारा बताये कथनों के सम्बन्ध में मनोज कानि. से पूछा तो मनोज कानि. ने परिवादी राजू मैहरा की बातों को सही होना बताते हुये बताया कि मैंने परिवादी राजू मैहरा को वाईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर गंगापुर सिटी तहसील कार्यालय में रवाना कर मैं भी परिवादी के पीछे-पीछे तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी की तरफ चला गया, जहां पर परिवादी मेरे सामने तहसील परिसर के अन्दर प्रवेश कर गया था। मैं वही पर अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के इन्तजार में रूक गया था। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मनोज कुमार कानि. 133 से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित गवाह श्री भोलाराम कानि. 281 व श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 के सामने जरिये फर्द प्राप्त कर उसको सरकारी लेपटोप की मदद से चलाकर उसमें रिकार्ड वार्ता को स्पीकर की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से परिवादी राजू मैहरा के कथनों की ताईद हुई व संदिग्ध आरोपीगण द्वारा परिवादी से 75,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत राशि लेकर सोमवार को बुलाया जाना स्पष्ट पाया गया है। डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित को सुरक्षित मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के कब्जे की कार्यालय आलमारी में रखा जाकर आलमारी को लॉक किया गया। इसके बाद समय 05.30 पी.एम पर परिवादी राजू मैहरा ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी दो-पांच दिन मेरे घर पर आवश्यक कार्य है और मुझे रिश्वत राशि की व्यवस्था भी करनी पडेगी, अभी मेरे पास संदिग्ध आरोपीगण को रिश्वत राशि 75,000/- रूपये मेरे पास नही है। मेरे पास जब भी आरोपीगण को देने के लिये रिश्वत राशि की व्यवस्था हो जावेगी, तब मैं आपसे या मनोज जी से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर लूंगा। इस पर परिवादी राजू मैहरा व परिवादी के पुत्र हिमांशु मैहरा को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर ब्यूरो चौकी से रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 23.06.2025 को समय 09.15 पी.एम पर मनोज कुमार कानि. 133 ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि कल दिनांक 22.06.2025 को परिवादी राजू मैहरा की मेरे से जरिये दूरभाष वार्ता हुई थी। परिवादी ने बताया कि सोनू एडवोकेट मेरे से रजिस्ट्री करवाने के लिये दिनांक 13.06.2025 को हुई वार्तानुसार पैसे की मांग कर रहा है। सोनू एडवोकेट व जय बाबू कल दिनांक 23.06.2025 को मेरे से रिश्वत राशि ले लेगे। इस पर मैने परिवादी राजू मैहरा को कल दिनांक 23.06.2025 को प्रातः ब्यूरो चैकी आने की कहा तो परिवादी ने कहा कि मैरे घर पर आवश्यक कार्य है इस कारण मैं सवाई माधोपुर आने में असमर्थ हूँ। मैंने आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ली है। मैं कल दिनांक 23.06.2025 को आपको सलेमपुर मोड गंगापुर सिटी पर मिल जाउंगा। परिवादी राजू मैहरा से हुई जरिये दूरभाष हुई वार्ता से मैने आपको कल जरिये दूरभाष अवगत करवा दिया था। आपके निर्देशानुसार कल दिनांक 22.06.2025 को राजकीय अवकाश रविवार होने से सरकारी कार्यालय बन्द होने से मैंने सांख्यिकी विभाग के अधिकारी को जरिये दूरभाष दिनांक 23.06.2025 को प्रातः 09.30 ए.एम पर एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर पर दो स्वतंत्र गवाह पावन्द कर भिजवाने बाबत कहा था। जिस पर सांख्यिकी विभाग के अधिकारी ने श्री सतीस व श्री अतुल जी को पाबन्द कर जरिये दूरभाष मुझे अवगत करवा दिया था। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोज कुमार कानि. को स्वतंत्र गवाह से सम्पर्क कर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 09.30 ए.एम पर पूर्व से पावन्दशुदा दो स्वतंत्र गवाह श्री सतीश कुमार बैरवा सहायक सांख्यिकी अधिकारी, श्री अतुल गोयल ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी उपस्थित कार्यालय आये है जिनसे नाम पते पूछे तो उन्होने अपने अपने नाम पते क्रमशः- श्री सतीश कुमार बैरवा पुत्र श्री रामफुल बैरवा जाति बैरवा उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट भूरी पहाडी तहसील खण्डार पुलिस थाना कुण्डेरा जिला सवाई माधोपुर हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी आर्थिक सांख्यिकी विभाग जिला सवाई माधोपुर (मो0 नम्बर- [redacted] व श्री अतुल गोयल पुत्र श्री मुरारी लाल गोयल जाति महाजन उम्र 32 वर्ष निवासी पुरानी अनाज मण्डी शहर पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर, हाल ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी आर्थिक सांख्यिकी विभाग जिला सवाई माधोपुर (मो0 नम्बर- [redacted] होना बताया। जिनको आज दिनांक को की जा रही ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया। तत्पश्चात दोनो गवाहों से उक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाही गई जो दोनो ने स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति दी। तत्पश्चात समय 09.45 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ब्यूरो चौकी के समस्त स्टाफ को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी राजू मैहरा द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाकर दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन व साफ पानी से साफ किये। इसके बाद दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलासी लिवाई गई, जिसमें दोनो स्वतंत्र गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद समय 10.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री मनोज कुमार कानि. 133 कार्यवाहक मालखाना प्रभारी से मालखाना का ताला खुलवाकर मालखाने में से श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर सरकारी वाहन के डेशबोर्ड में रखवाकर श्री राजवीर सिंह कानि. 149 के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शीशीयां

मय ढक्कन, प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों, चम्मच आदि को श्री मनोज कुमार कानि. 133 से साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया, तथा ट्रेप बौक्स में खाली नई कपडे की थैलिया, सील चपडी, मोमबत्ती, सुई धागा, नमूना सील पीतल एवं नये खाली पैन्ड्राईव कवरों सहित, डीवीडी, मय विडियो कैमरा व सरकारी मोबाईल रखवाये गये। इसके बाद समय 10.15 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सतीश कुमार बैरवा सहायक सांख्यिकी अधिकारी, श्री अतुल गोयल ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी मय श्री मनोज कुमार कानि. 133, श्री हम्मीर सिंह कानि. 02, श्री भोलाराम कानि. 281, श्री राजवीर सिंह कानि. 149 मय ट्रेप बाक्स मय सरकारी वाहन के डेश बोर्ड में रखे फिनाफ्थलीन पाउडर के डिब्बे मय लेपटॉप प्रिन्टर मय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्वंये के पास रखे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मय सरकारी वाहन बोलेरो के परिवादी राजू मैहरा द्वारा पूर्व में बताये गये स्थान सलेमपुर मोड गंगापुर सिटी के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 11.45 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा सलेमपुर मोड गंगापुर सिटी पहुंचा, जहां पर पूर्व से पावन्दशुदा परिवादी श्री राजू मैहरा अपने निजी वाहन के उपस्थित मिला। जिसको हमराह साथ लेकर परिवादी राजू मैहरा के बताये अनुसार ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु एकान्त स्थान सलेमपुर अण्डर वाईपास टीन शेड के पास पहुंचा। जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हमराह साथ आये स्वंतत्र गवाहान श्री सतीश कुमार बैरवा पुत्र श्री रामफुल बैरवा जाति बैरवा उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट भूरी पहाडी तहसील खण्डार पुलिस थाना कुण्डेरा जिला सवाई माधोपुर हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी आर्थिक सांख्यिकी विभाग जिला सवाई माधोपुर व श्री अतुल गोयल पुत्र श्री मुरारी लाल गोयल जाति महाजन उम्र 32 वर्ष निवासी पुरानी अनाज मण्डी शहर पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर, हाल ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी आर्थिक सांख्यिकी विभाग जिला सवाई माधोपुर का परिवादी राजू मैहरा से परिचय से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 12.06.2025 को दिखाया जाकर पढवाया गया तो गवाहों ने रिपोर्ट को पढकर एवं परिवादी से वार्ता कर रिपोर्ट पर अपने अपने बतौर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर दिनांक सहित किये गये। इसके बाद समय 12.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सतीश कुमार बैरवा सहायक सांख्यिकी अधिकारी, श्री अतुल गोयल ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी के सामने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपीगण को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने अपने पास से संदिग्ध आरोपीगण को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राषि 500-500 रूपये के नोटो की 150 नोट कुल राशि 75,000/-रूपये (भारतीय चलन मृद्रा के) निकालकर पेश किये। जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाकर पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 150 नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री राजवीर सिंह कानि 149 से सरकारी वाहन के डेश बोर्ड के अन्दर अन्दर से रखे फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर उक्त कानि0 से एक साफ अखवार बिछवाकर उस अखवार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकलवाकर सभी नोटो पर भली-भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी की जामा तलासी स्वतंत्र गवाह श्री अतुल गोयल ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास बदन पर पहने हुये कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 150 नोटों की गडडीनुमा रबड से बांधकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जैब मे रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और संदिग्ध आरोपीगण के मांगने पर ही पाउडर युक्त राशि उसे देवे तथा संदिग्ध आरोपीगण द्वारा उक्त रिश्वती नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखा जाता है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे और रिश्वती में उक्त राशि को देने से पहले या बाद में संदिग्ध आरोपीगण से हाथ नहीं मिलावे, तथा अभिवादन की जरूरत पडे तो दूर से हाथ जोडकर करे तथा कोई बहाना बनाकर बाहर आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मोबाईल फोन से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या मनोज कुमार कानि. 133 को मिसकॉल देकर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यों को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व संदिग्ध आरोपीगण के बीच में होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवष्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री सतीश कुमार बैरवा सहायक सांख्यिकी अधिकारी से सरकारी वाहन में रखे पानी के केम्पर में से पानी भरवाकर एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर और श्री मनोज कुमार कानि. कार्यवाहक मालखाना प्रभारी से सरकारी वाहन बोलेरो में रखे ट्रेप बोक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर गवाह श्री सतीश कुमार बैरवा से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, साफ सफेद ही रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले कानि. श्री राजवीर सिंह कानि 149 के हाथों की अंगुलियों व अंगुठें को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने देखकर गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतत्र गवाहो को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी

रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर के डिब्बे को ढक्कन बंद करवाकर श्री राजवीर सिंह कानि. 149 के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बोक्स में श्री मनोज कुमार कानि. कार्यवाहक मालखाना प्रभारी के मार्फत उसके हाथ साबुन व पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से गिलास के धोवन को फिकवाया जाकर उक्त डिस्पोजल गिलास को एवं काम में लिये गये अखवार को नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन व साफ पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलासी लिवाई गई जिसमें दोनो स्वतंत्र गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एमडी कार्ड डले सहित परिवादी को रिश्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपीगण से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड डले सहित परिवादी को सुपुर्द कर चालू बंद करने की विधि समझाकर आवष्यक हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। इसके बाद समय 1.35 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मनोज कुमार कानि. 133 को हिदायत दी की परिवादी के आरोपीगण के पास जाने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करे। इसके बाद परिवादी राजू मैहरा व मनोज कुमार कानि. को परिवादी के निजी वाहन से तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी के लिये रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस पुलिस अधीक्षक मय भोलाराम कानि., हम्मीर कानि. व राजवीर सिंह कानि. मय फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे मय सरकारी वाहन के तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी के लिये रवाना होकर ईदगाह तिराहा गंगापुर सिटी पहुंचा। जहां पर श्री राजवीर सिंह मय फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे के उतारकर मुनासिफ हिदायत दी गई कि आपको कार्यवाही की सूचना मिलने पर तुरन्त मौके पर उपस्थित आवें। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी के पास फव्वारा चौक पहुंचा। जहां पर श्री मनोज कुमार मय परिवादी के उपस्थित मिला। जहां पर सरकारी वाहन को एक साईड में खडा करवाकर लॉक करवाया गया। इसके बाद समय 01.50 पी.एम पर श्री मनोज कुमार कानि. से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी राजू मैहरा को आरोपीगण के पास तहसील कार्यालय रवाना किया गया। परिवादी के पीछे मनोज कुमार कानि. को रवाना कर उसके पीछे-पीछे भोलाराम कानि. मय स्वतंत्र गवाह श्री सतीश बैरवा को रवाना कर मन अतिक्ति पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह अतुल गोयल मय हम्मीर कानि. के रवाना होकर समय 01.55 पी.एम पर तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी राजू मैहरा तहसील कार्यालय में अन्दर प्रवेश करता नजर आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त ट्रेप पार्टी को हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त स्टाफ तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के नियत ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय 03.30 पी.एम पर श्री मनोज कानि. ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरी परिवादी राजू मैहरा से बात हुई है, परिवादी ने बताया कि मेरी जय बाबू से बात हो गयी है, जय बाबू ने पैसा सोनू एडवोकेट को देने की कही है। मैं रिश्वत राशि सोनू एडवोकेट को देता हूँ तो तहसील कार्यालय में काफी भीड-भाड होने के कारण जय बाबू व अन्य आरोपीगण के भाग जाने की सम्भावना है। परिवादी ने बताया कि मैं सोनू को एकान्त जगह फव्वारा चैक के पास स्थित पावर हाउस के पास ले जाकर रिश्वत राशि आरोपी सोनू एडवोकेट के मांगने पर दे दूंगा। परिवादी ने कहा कि आप और आपकी टीम पावर हाउस के पास चले जायें। आरोपी सोनू एडवोकेट के रिश्वत लेने के बाद में आपको आपके द्वारा बताये गये रिश्वत स्वीकृति का ईशारा कर दूंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान को पावर हाउस गंगापुर सिटी के आस पास रहने की हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी से रवाना होकर फव्वारा चैक के पास स्थित पावर हाउस गंगापुर सिटी के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के नियत ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय 03.55 पी.एम पर दोनो गवाहान के सामने परिवादी राजू मैहरा ने पावर हाउस गंगापुर सिटी के गेट के बाहर आकर पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर अपनी स्वंय की मोटरसाईकिल हिरो होण्डा नम्बर आर.जे. 25- 5151 पर पीछे बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा किया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों ने परिवादी की मोटरसाईकिल को हाथ का ईशारा कर रूकवाया। इतने में परिवादी राजू मैहरा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया, जिससे वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया जो चालू हालत में था, जिसको बन्द करके मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वंय के पास रखा। परिवादी ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि पीछे बैठा व्यक्ति ही सोनू एडवोकेट है, जिसने अभी थोडी देर पहले मेरे से पावर हाउस के अन्दर 75,000/- रूपये रिश्वत राशि मांगकर अपनी पहनी हुई शर्ट के बटन खोलकर अन्दर रख लिये तथा मोटरसाईकिल चालक मेरा स्वंय का पुत्र हिमांशु मैहरा है, जो सोनू एडवोकेट के कहने पर इसे तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी में छोडने जा रहा था। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त स्थान पर काफी भीड-भाड होने से व कार्यवाही करने का स्थान नही होने से आरोपी

सोनू एडवोकेट को यथास्थिति में रहने की हिदायत कर सरकारी वाहन बोलेरो में बिठाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी मय आरोपी सोनू एडवोकेट मय परिवादी मय परिवादी मय सरकारी वाहन के रवाना होकर सुरक्षित स्थान रेल्वे स्टेशन गंगापुर सिटी पहुंचा, जहां पर परिवादी ने पूछने पर बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर सोनू एडवोकेट के पास पहुंचा तो सोनू ने कहा कि पहले रजिस्ट्री करवा लो, फिर पैसे बाद में देना, इसके बाद मैं और सोनू तहसीलदार साहब बृजेश कुमार के पास उनके कार्यालय में पहुंचे जहां पर जय बाबू भी उपस्थित था। वहां पर 5-10 आदमी खडे हुये थे। जहां पर जय बाबू ने तहसीलदार की तरफ ईशारा करते हुये कहा कि इनकी बात हो गयी है, कर दो रजिस्ट्री वहां पर नायब तहसीलदार जी थे। फिर मैं और सोनू वहां से पंजीकरण कक्ष में चले गये। जहां पर मेरी और मेरे पुत्र हिमांशु और जानकी देवी व जानकी देवी के लडके की फोटों खींचकर रजिस्ट्री की कार्यवाही की थी। इसके बाद हमने रजिस्ट्री पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद सोनू ने कहा की ला पैसे दे तो मैने कहा कि मैं जय बाबू को दूंगा, मेरी बात तो करा उससे। इसके बाद हम दोनो पंजीकरण कक्ष में गये जहां पर जय बाबू मिला, जिसने कहा कि यहां मत दे पैसे सोनू को दे देना बाहर। इसके पश्चात मैंने तहसील कार्यालय परिसर के बाथरूम में मनोज जी को ईशारा कर बुलाया और उक्त बात बतायी। इसके बाद मैं तहसील कार्यालय के बाहर आ गया और सोनू एडवोकेट भी मेरे पीछे-पीछे बाहर आ गया। में वहां से रवाना होकर पावर हाउस के अन्दर आ गया। इसके थोडी देर बाद ही सोनू एडवोकेट मेरे लडके हिमांशु के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर मेरे पास आ गया और सोनू ने मेरे से रिश्वत राशि के पैसे मांगे, जिस पर मैने अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी तरफ की जैब में निकालकर सोने को पैसे दे दिये सोनू ने अपने दोनो हाथों में लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट के बटन खोलकर अन्दर डाल लिये। इसके बाद सोनू मेरे लडके हिमांशु के साथ मेरी मोटरसाईकिल पर बैठकर तहसील कार्यालय के लिये रवाना हो गया। इस मैं पावर हाउस के गेट पर से ही मैने आपको रिश्वत स्वीकृति का ईशारा कर दिया और आपने मेरी मोटरसाईकिल पर बैठे सोनू को पकड लिया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सोनू एडवोकेट से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता हरिप्रसाद उर्फ सोनू पुत्र श्री राधेश्याम जाति कोली उम्र 39 वर्ष निवासी महुकला गंगापुर सिटी हाल एडवोकेट गंगापुर सिटी का होना बताया। इस श्री हम्मीर सिंह कानि. को सरकारी मोबाईल से विडियो रिकॉडिंग करने की हिदायत कर आरोपी सोनू एडवोकेट परिवादी राजू मैहरा से ली गयी रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि राजू ने रजिस्ट्री करवायी थी, यह बात करके गये थे, रजिस्ट्री के पैसे लिये थे। जो जय बाबू को देते है। हम तो लेते भी नही है। हम तो हमारी फीस रजिस्ट्री की फीस लेते है। किसका क्या होता है हमको पता नही हम तो रजिस्ट्री करवाकर फ्री कर देते है। बाबू तहसीलदार को क्या देता है ये मुझे पता नही है। जय बाबू ही बांटता रहता है। जय ने मेरे कहा की इससे ले लेना। राजू व जय के बीच में क्या बात हुई मुझे पता नही है। इस पर पास में बैठे परिवादी ने आरोपी सोनू एडवोकेट की बात का खण्डन करते हुये कहा कि मैं तहसील में गया रजिस्ट्री करवाने के लिये तो इन्होने पहले 35,000/- रूपये बताये स्टाम्प ड्यूटी फीस वगैरा सब के फिर कहा कि साहब एक लाख रूपये मांग रहे है, इस रजिस्ट्री करवान के लिये। इसके बाद मैं इसको लेकर जय के पास गया, तो जय बाबू ने कहा की 80,000/-रूपये से कम नही लगेगें। फिर मैने जैसे तैसे करके 75,000/- रूपये में फाईनल कर लिया। अभी भी रजिस्ट्री हो रही थी ना, तब साहब ने कहा हां बात हो गयी। तहसीलदार साहब ने, नायब साहब ने जय बाबू ने कहा था कि बात हो गयी। इसके बाद आरोपी सोनू एडवोकेट से परिवादी से ली गयी रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो अपनी पहनी हुयी शर्ट के बांयी तरफ जैब के नीचे अन्दर की तरफ रखी होना बताया। उक्त नोटो को गवाह अतुल गोयल से निकलवाकर उक्त नोटो को दोनो गवाहान से चैक करवाया एवं गिनवाया गया तो प्रत्येक 500-500 रूपये के 150 नोट कुल राशि 75,000/- मिले, उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान गवाहान से पूर्व में बनायी गयी फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो वही हूबहू नम्बरी नोट मिले। जिन्हें गवाह श्री अतुल गोयल के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी सोनू एडवोकेट के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी जय बाबू के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवाकर लाउड स्पीकर आन कर बात करवायी तो जय बाबू ने कहा मैं घर चला गया था, आ ही रहा हुँ बस आरोपी सोनू ने कहा की मैं यों कह रहा हॅू कि मैं तो निकल रहो हॅू बस तहसील से जय बाबू ने कहा निकल जावो। इसके पुन आरोपी सोनू के उपरोक्त नम्बर से आरोपी जय बाबू के उपरोक्त नम्बर कॉल करवाया तो सोनू ने कहा कि वो राजु मेहरा वाला काम है ना वो जय बाबू ने कहा हो तो गये सब काम सोनू ने कहा हां तो बाई के रखवार जा रहा हॅू मै तो जय बाबू ने कहा ठीक। उक्त वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। इसके कुछ समय बाद आरोपी जय बाबू का आरोपी सोनू एडवोकेट के व्हाट्सएप कॉल आया और कहा की ऐसी वेसी बात हो तो व्हाट्सएप पर किया करो। उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी राजू मेहरा से आरोपी जय बाबू के बारे में पता लगाने की कहा तो थोडी देर बाद ही परिवादी राजू ने कहा कि मैने पता लगा लिया है कि जय बाबू तहसील कार्यालय में ही है। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी मय परिवादी मय आरोपी सोनू एडवोकेट के कब्जे से बरामदशुदा रिश्वति राशि मय सरकारी/प्राईवेट वाहन के तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी पहुंचा। जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी मय परिवादी के तहसील कार्यालय के अन्दर पहुंचा जहां पर परिवादी ने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा करते हुये बताया कि यही जय बाबू है। इस पर

मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति के पास जाकर अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता जय कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 31 वर्ष निवासी नरसिंह कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी होना बताया तथा पास ही खडे एक व्यक्ति से नाम पूछा तो उसने अपना नाम बृजेश कुमार तहसीलदार तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी होना बताया। इसके पश्चात आरोपीगण जय बाबू, सोनू एडवोकेट व तहसीलदार मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान के तहसीलदार चैम्बर के अन्दर प्रवेश किया। आरोपीगण को बिठाकर श्री हम्मीर सिंह कानि. से सरकारी कैमरा से विडियोंग्राफी करने की हिदायत कर परिवादी से हुई रिश्वति राशि मांग के बारे में पूछा तो आरोपी जय कुमार शर्मा बाबू ने बताया कि आज से मेरे पास रजिस्ट्री का चार्ज है। फरवरी से पोस्टिंग है। मै परिवादी को नही जानता हूँ। परिवादी से एक बार जब मौका देखने गये जब मिला था। इनका रजिस्ट्री का काम तो हो गया होगा। रजिस्ट्री का काम तो उसी दिन हो जाता है। इस पर पास ही खडे परिवादी ने आरोपी जय कुमार शर्मा बाबू की बात का खण्डन करते हुये बताया कि मैने 15-20 दिन पहले फाईल जमा करवायी थी। फिर इसके बाद मैं सोनू से मिला सोनू ने मेरे को जय बाबू से मिलवाया तो जय बाबू ने कहा कि साहब एक लाख रूपये मांग रहे है। फिर जय बाबू ने कहा कि अस्सी हजार रूपये में फाईनल कर लेंगे। मै आज सोनू के पास गया तो सोनू मुझे तहसील कार्यालय में ले आया जहां पर मुझे तहसीलदार साहब, नायब साहब मिले थे। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर मंगवाकर और स्वतंत्र गवाह श्री श्री सतीश कुमार बैरवा से ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास निकलवाकर उनमें स्वतंत्र गवाह श्री सतीश कुमार बैरवा से तहसील कार्यालय कक्ष में रखी पानी से भरी बोतल में से साफ पानी भरवाकर तथा उक्त गवाह से ही ट्रेप बौक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उसमें से थोडा- थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनो पारदर्शी गिलासों के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो परदर्शी प्लास्टिक गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितगणों को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी सोनू एडवोकेट के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीषीयों को सील चिट मोहर कर मार्क- आरएच-1, आरएच-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी सोनू एडवोकेट के बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीषियों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद गवाह श्री सतीश कुमार बैरवा के दोनो हाथ कार्यालय कक्ष के बाहर साबुन व साफ पानी से साफ कराकर उक्त गवाह से पूर्व की भांति एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर तहसील कार्यालय कक्ष में रखी पानी की बोतल मे से साफ पानी भरवाकर उसमें उक्त गवाह से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जैब के नीचे की तरफ अन्दर जहां से रिश्वती राशि रखी होकर बरामद हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्ब्न्धितों ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा डलवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क एस-1 व एस-2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान, परिवादी व आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया, तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात उक्त शर्ट की सामने की बांयी तरफ की जैब के नीचे की तरफ अन्दर की साईड को सुखवाकर उक्त धुलाई किये हुये स्थान पर गवाहान, परिवादी व आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शर्ट को सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर कपडे की थेली पर मार्क एस अंकित कर थैली के उपर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री अतुल गोयल के पास पूर्व में आरोपी की पहनी हुई शर्ट की बांयी तरफ की जैब के नीचे अन्दर की तरफ से बरामद शुदा नम्बरी 75,000/- के 500-500 रू. के 150 नोटो को पीले कागज के लिफाफे में रखवाकर विवरण अंकित कर लिफाफे को चिपका कर लिफाफे पर दोनों गवाहान, परिवादी व आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर उक्त लिफाफे को सील्ड मौहर कर गवाहान, परिवादी व आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी जय कुमार शर्मा बाबू एवं बृजेश कुमार तहसीलदार से परिवादी के कार्य सम्बन्धित पत्रावली के बारे में पूछा तो पंजीयन कक्ष में रखी होना बताया। इस पर परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली को मंगवाकर उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली पर पंजीयन दिनांक 23.06.2025 अंकित है, जिस पर नायब तहसीलदार

गंगापुर सिटी के हस्ताक्षर है तथा उक्त पत्रावली पर टोकन नम्बर 2389 अंकित है। उक्त पत्रावली पर पृष्ठ संख्या 08 पर फीस रसीद दिनांक 23.06.2025 समय 02.46 पी.एम पर कटी हुई है तथा पृष्ठ संख्या 14 के पिछले पृष्ठ पर प्रिन्ट डेट 23.06.2025 समय 3 बजकर 18 मिनट 20 सेकण्ड पर प्रिन्ट निकलने की दिनांक समय अंकित है। उक्त पत्रावली पर पेज संख्या 11 व 15 व 19 पर 20000/- रूपये का स्टाम्प है, जिसके उपर दिनांक 23 मई 2025 की दिनांक अंकित है। उक्त पत्रावली पर 01 लगायत कुल 30 पृष्ठ है। जिस पर क्रेता पक्ष हिमांशु मेहरा व विक्रेता पक्ष जानकी देवी, गवाह धरम सिंह, राजू मेहरा का आधार कार्ड संलग्न है व एक भारतीय स्टेट बैंक का चैक भी पत्रावली पर संलग्न है। पत्रावली में जमाबन्दी व मौके की फोटो संलग्न है। उक्त पत्रावली की पेंजिग करवाकर पहले व अंतिम पृष्ठ पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर फोटोप्रति करवाई जाकर फोटोप्रति दस्तावेजो को तहसीलदार से प्रमाणित करवाई जाकर मूल पत्रावली बाद हिदायत श्री बृजेश कुमार तहसीलदार को सुपुर्द की गई। पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति को वास्ते बजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉडर एसडी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन-देन की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी फर्द पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपीगण सोनू एडवोकेट व आरोपी जय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी राजू मैहरा से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है, तो परिवादी व आरोपीगण ने मना कर दिया। वक्त कार्यवाही बरामदगी व हाथ आदि धुलाई की श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 से सरकारी मोबाईल फोन से कराई गई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव/डीवीडी तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिव की जावेगी। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर बिना नम्बर नमूना सील फर्द पर अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष व परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। इसके पश्चात समय 07.00 पी.एम पर आरोपी श्री हरिप्रसाद उर्फ सोनू पुत्र श्री राधेश्याम जाति कोली उम्र 39 वर्ष निवासी महुकला गंगापुर सिटी हाल एडवोकेट गंगापुर सिटी अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं 61 (2) बीएनएस 2023 में गिरफ्तार कर गिरफ्तार की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से भाई चिंरजीलाल उर्फ राजू को दी गई। इसके बाद समय 07.15 पी.एम पर आरोपी श्री जय कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 31 वर्ष निवासी नरसिंह कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं 61 (2) बीएनएस 2023 में गिरफ्तार कर सूचना स्वयं की इच्छा से पिता महेश चन्द शर्मा को दी गई। तत्पश्चात बाद कार्यवाही समय 07.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान एवं गिरफ्तार शुदा आरोपीगण हरिप्रसाद उफ सोनू एडवोकेट व जय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक मय परिवादी व जप्त शुदा समस्त आर्टिकल्सों/सामान को साथ लेकर मय ट्रेप बौक्स, लेपटोप प्रिंटर, सरकारी मोबाईल कैमरा आदि के जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहनों के घटना स्थल तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी से एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर रवाना हुआ जहां पर ईदगाह तिराहा से राजवीर सिंह कानि 149 को हमराह साथ लेकर रवाना होकर समय 09.30 पी.एम पर एसीबी चौकी सवाई माधोपुर पहुंचा, जहां पर बजह सबूत समस्त आर्टिकल मय रिश्वती राशि धोवन कीसील्ड शीशीयों, शर्ट पैकिट को जमा मालखाना जरिये कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि. 133 करवाया गया तथा गिरफतार शुदा आरोपीगण को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में रखा गया, आरोपीगण निवास स्थान गंगापुर सिटी में होने से तथा आरोपीगण के विरूद्ध की गई ट्रेप कार्यवाही स्थानीय पब्लिक एवं समाचार चैनलो के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी है तथा ब्यूरो चौकी पर मात्र एक अधिकारी होने से व ट्रेप कार्यवाही में समय अधिक लगने से आरोपी के रिहायसी मकान की खाना तलाशी नही ली गई। इसके बाद आरोपीगण का कार्यालय स्टाफ की सहायता से सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई। इसके पश्चात समय 11.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सतीश कुमार बैरवा व श्री अतुल गोयल एवं परिवादी श्री राजू मैहरा के सामने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के रिकार्ड शुदा मूल विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी राजू मैहरा एवं आरोपीगण श्री हरिप्रसाद उफ सोनू एडवोकेट व जय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक के मध्य दिनांक 13.06.2025 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को दोनो गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विभागीय कम्पयूटर में लगाकर चलाकर रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण कानि0 श्री मनोज कुमार कानि. से तैयार करवाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री मनोज कुमार कानि. 133 से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से एक नया खाली पैनड्राईव I BALL PENDANT 16 जीबी मार्क-ए न्यायालय प्रति एवं दो डीवीडी मुलजिम प्रति मार्क-ए-1, मार्क-ए-2 एवं एक डीवीडी आई.ओ. प्रति मार्क-ए-3 में डब करवाई जाकर वॉईस रिकार्डर में डले एसडी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईव को कवर में सुरक्षित रखकर एवं दो डीवीडी मुलजिम प्रति मार्क-ए-1, मार्क-ए-2 पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कवर में रखवाकर सफेद कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.

ओ. प्रति मार्क ए-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-ए एवं मुलजिम प्रति डीवीडी मार्क ए-1, ए-2 को शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति डीवीडी मार्क-ए-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। डब पैनड्राईव की कम्प्यूटर की मदद से से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात दिनांक 24.06.2025 को समय 02.00 ए.एम पर परिवादी से दौराने ट्रेप कार्यवाही पूर्व में प्राप्त शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें दिनांक 23.06.2025 को परिवादी राजू मैहरा एवं आरोपीगण श्री हरिप्रसाद उर्फ सोनू एडवोकेट व जय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन रूबरू हुई वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की मौजुदगी में विभागीय कम्प्यूटर से चलाकर कर उसमें रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री मनोज कुमार कानि. 133 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री मनोज कुमार कानि. 133 से उक्त रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता की कम्प्यूटर की महायता से एक नया खाली पैनड्राईव I BALL PENDANT 16 जीबी मार्क-बी न्यायालय प्रति एवं दो डीवीडी मुलजिम प्रति मार्क-बी-1, मार्क-बी-2 एवं एक डीवीडी आई.ओ. प्रति मार्क-बी-3 में डब करवाई जाकर वॉईस रिकार्डर में डले एसडी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईव को कबर में सुरक्षित रखकर एवं दो डीवीडी मुलजिम प्रति मार्क-बी-1, मार्क-बी-2 पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कवर में रखवाकर मूल पेनड्राईव मार्क बी एवं मुल्जिम प्रति डीवीडी मार्क बी-1, बी-2 को अलग-अलग सफेद कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति मार्क बी-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-बी एवं मुलजिम प्रति डीवीडी मार्क बी-1, बी-2 को अलग-अलग सफेद कपड़े की थैली में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल एसडी कार्ड को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क "एसडी" अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-एसडी अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति डीवीडी मार्क-बी-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड एवं डब पैनड्राईव की कम्प्यूटर की मदद से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हसताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय 08.00 ए.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी के सामने दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये श्री हम्मीर सिंह सरकारी मोबाईल में करवाई गई कार्यवाही सबंधी वीडीयोग्राफी को एक नया खाली पैनड्राईव I BALL PENDANT 16 जीबी एवं तीन डीवीडी में जरिये कानि. हम्मीर सिंह कानि. 02 से डब करवाई जाकर मूल पेनड्राईव को मार्क सी व डीवीडीयों को सी-1 एवं सी-2 अंकित करवाकर पैनड्राईव मार्क-सी व डीवीडी मार्क सी-1, सी-2 पर हस्ताक्षर करवाकर अलग-अलग कवरों में अलग अलग रखकर उन्हें कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मौहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी मार्क-सी-3 को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर थैली पर मार्क अंकित कर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक मे फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद 08.30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की बिना नम्बरी सील जिस पर ACD SWM लिखा हुआ है, को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये नष्ट किया जाकर फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दोनो गवाहों एवं परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके पश्चात समय 09.00 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जप्त/सील्ड माल वक्त रिश्वत सत्यापन एवं लेन-देन वार्ता एवं विडियोग्राफी के सील्ड पैनड्राईव/डीवीडी मार्क-ए, ए-1, ए-2 एवं लेन -देन वार्ता के मार्क बी, बी-1, बी-2, एवं मूल एसडी कार्ड मार्क एसडी, एवं विडियोग्राफी के सील्ड पैनड्राईव मार्क सी व डीवीडी मार्क सी-1, सी-2 को कार्यवाहक एचएम मालखाना श्री मनोज कुमार कानि.133 को सुरक्षित हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना कराया गया। तत्पश्चात समय 09.30 ए.एम पर गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री जय कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 31 वर्ष निवासी नरसिंह कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी एवं श्री हरिप्रसाद उर्फ सोनू पुत्र श्री राधेश्याम जाति कोली उम्र 39 वर्ष निवासी महुकला गंगापुर सिटी हाल एडवोकेट गंगापुर सिटी से परिवादीग मे मांगी एवं प्राप्त की गई रिश्वत राशि एवं पैडिंग कार्य के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट तैयार कर पढाकर बाद हस्ताक्षर शामिल फाईल किया गया। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री जय कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 31 वर्ष निवासी नरसिंह कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कर्तव्य को करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर परिवादी राजू मैहरा पुत्र बंशीलाल जाति बैरवा उम्र 45 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी, गंगापुर सिटी से उसके द्वारा जानकी देवी पत्नि रामप्रसाद बैरवा निवासी गांव चूली से गांव चूली में 20.66 एयर कृषि भूमि अपने पुत्र हिमांशु मैहरा के नाम से क्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री करवाने के एवज में जय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक द्वारा हरिप्रसाद उर्फ सोनू एडवोकेट के मार्फत अपने व तहसीलदार, नायब तहसीलदार व पटवारी के एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई। जिस पर परिवादी द्वारा एसीबी में शिकायत के उपरान्त रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 13.06.2025 को आरोपगण

द्वारा 80,000/- रूपये की मांग कर 75,000/- रूपये लेने पर सहमत होने पर दिनांक 23.06.2025 को परिवादी राजू मैहरा से जय कुमार शर्मा द्वारा रिश्वत राशि स्वंय ना लेकर हरिप्रसाद उर्फ सोनू एडवोकेट को देने की कहने पर हरिप्रसाद उर्फ सोनू एडवोकेट को फव्वारा चैक के पास स्थित पावर हाउस गंगापुर सिटी में परिवादी से प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई 75,000/- रुपये की राशि उसकी पहनी हुई शर्ट की बांयी तरफ की जैब के नीचे अन्दर की तरफ बरामद हुई तथा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी से प्राप्त होना पाया गया है। उक्त मामले में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 13.06.2025 एवं लेन-देन वार्ता में अंकित तथ्यो के क्रम में श्री बृजेश कुमार तहसीलार, नायब तहसीलदार व पवन मीना पटवारी की भी भूमिका संदिग्ध है जिसकी वक्त अनुसंधान जांच की जावेगी। अतः श्री जय कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 31 वर्ष निवासी नरसिंह कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी एवं श्री हरिप्रसाद उर्फ सोनू पुत्र श्री राधेश्याम जाति कोली उम्र 39 वर्ष निवासी महुकला गंगापुर सिटी हाल एडवोकेट गंगापुर सिटी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित की जावेगी। (ज्ञान सिंह चैधरी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर।......................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञान सिंह चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपगण 1- श्री जय कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 31 वर्ष निवासी नरसिंह कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी एवं 2- श्री हरिप्रसाद उर्फ सोनू पुत्र श्री राधेश्याम जाति कोली उम्र 39 वर्ष निवासी महुकला गंगापुर सिटी हाल एडवोकेट गंगापुर सिटी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 1026 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 931-34 दिनांक 24.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2.जिला कलक्टर सवाई माधोपुर।3-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/06/2025 18:26:14

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/09/1992				
2	Male	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)